

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(8)स्था/संबल/पार्ट/

दिनांक

नियुक्ति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ पशुपालन सेवानियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क-2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(2) कार्मिक (क-2) 05 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प.16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प.6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प.16(5)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं समय-समय पर हुए विभिन्न संशोधनों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूची IV, अधिसूचना संख्या एफ.14(1)एफडी(रूल्स) 2013-II, दिनांक 28.08.2013 एवं अधिसूचना संख्या एफ.15(1)एफडी(रूल्स) /2017, दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के पद पर पे-लेवल 8 में कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष परीक्षा प्रशिक्षणार्थी (Probation Trainee) के रूप में रूपये 18500/- प्रतिमाह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर पर नियुक्ति हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक प.14(37)RSMSSB/अर्थना/पशुपा/पशु.सहा./2016/पार्ट-2 /1640 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा उपलब्ध करायी की सूची के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्न अभ्यर्थी का पदस्थापन निम्न शर्तों पर किया जाता है :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चालचलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार चरित्र सन्तोषप्रद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात की कार्यग्रहण किया सकेगा।
3. विवाहित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी "विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र" एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात 2 से अधिक सन्तान उत्पन्न होने संबंधी रु 50/-के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. परीक्षाकाल में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. उक्त परीक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि विशेष राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। 2 वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें पशुधन सहायक पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
6. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.13(1)एफ.डी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.04 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
7. संबन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनके अधीन कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों से राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 नवीन चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता, पशुधन सहायक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस विभाग के रिकार्ड अनुसार चरित्र प्रमाण पत्र आदि के जांच उनके मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर भलिभांति कर कार्यग्रहण करवायेंगे तथा इनकी सत्यापित प्रतियां रिकार्ड में रखेंगे। किसी भी विवादाग्रस्त स्थिति में प्रकरण निदेशालय को भिजवायेंगे।
8. इन अभ्यर्थियों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त समझे जावेंगे।
9. उपरोक्त अभ्यर्थियों का चयन माननीय उच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 1464-66/2017, 13481/2017, 9978/2017, 7069/2017, 7268/2017, 7810/2017, 451/2017 एवं 5448/2018 में पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

Sr No	ROLL_NC	Name Candidate	FATHERS NAME	DOB	Gender	Final_Cat	Posting Place
1	701240	भागीरथ मीणा	रतनलाल मीणा	02-01-92	Male	ST	पशुचिकित्सा उपकेन्द्र देवड़ावास(दूनी) टोंक

sd
(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

दिनांक 05/07/2018

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(8)स्था/संबल/पार्ट/ 5134-4)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक, पशुपालन विभाग जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक(क्षेत्र) पशुपालन विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त/उप निदेशक पशुपालन विभाग टोंक को भेजकर लेख है किसी भी नवचयनित अभ्यर्थी के नाम अथवा पदस्थापन स्थान में यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो कार्यग्रहण करने की अन्तिम तिथि के पश्चात तीन दिवस में निदेशालय को सूचित किया जावे।
6. संबन्धित कोषाधिकारी द्वारा संबन्धित अधिकारी।
7. संबन्धित अभ्यर्थी (नाम से)
8. निजी/रक्षित पंजीका।
9. कम्प्यूटर शाखा

(डॉ. महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक(उत्पादन)